तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
22/7/19	आज यह पत्रावली वादी के प्रार्थना पत्र पेश इश्तार से तलब होकर पेश हुई। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया है कि उनका प्रतिवादीगण से राजीनामा हो गया है अब कोई विवाद नहीं है इसलिए वह दावा को आगे न चलाकर खारिज कराना चाहता हूँ। अतः वादी की प्रार्थना पर दावा वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है पत्रावली कैफ़ियत शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।
केशाम	
	उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)